कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांकः— 7182

दिनांकः— 12/08/24

ई—निविदा सूचना

U. B. No....DLB2425WSOB05384..............................

नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में फोगिंग कार्य हेतु 3—व्हीलर सवारी टैक्सी वाहन चालक सहित दो वर्ष के लिए उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु ई—निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.eproc.rajasthan.gov.in, www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है ।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कमांकः— 7183 to 7193

दिनांकः—

प्रतिलिपिः—

1. निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4. अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5. बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6. प्रभारी ओसवाल डाटा प्रोसेसर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
7. प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.lsg.rajasthan.gov.in/mcjs पर अपलोड करें।
8. राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9. कनिष्ट अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
10. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
11. गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

कार्यालय जोधपुर नगर निगम दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(cco_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः– 7682 DLB2425WSOB05384 दिनांकः– 12/08/24

ई–निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनाक व समय	12/08/2024	05:00
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनाक व समय	13/08/2024	11:00
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	28/08/2024	03:00
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रकिया शुल्क के डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति अधिशापी अभियन्ता गैरेज रूम न : 324 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	28/08/2024	03:30
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	28/08/2024	04:00

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	संविदा की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण में फोगिंग कार्य हेतु 3–व्हीलर सवारी टैक्सी वाहन चालक सहित दो वर्ष के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य।	25,00,000/–	50,000/–	500/–	500/–	दो वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है:–

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्रं.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण
2.	धरोहर राशि	50,000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/ बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः–

दिनांकः–

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर दक्षिण में फोगिंग कार्य हेतु मांग अनुसार संख्या में 3–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु ई–निविदा।

टिप्पणीः– निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदा प्रस्तुत करना :–

1 निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय प्रस्ताव में उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य नहीं पाये जाने पर उस निविदादाता के द्वारा वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"
नगर निगम जोधपुर दक्षिण
पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, गौरव पथ, जोधपुर।
दुरभाष नं.– 02912651464

निविदादाता का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

....

....

2 निविदादाता की पात्रता एवं निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किये जावेगें:–

1. निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई– टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैकर चैक की स्केन प्रति।
2. निविदादाता फर्म के मालिक/फर्म का PAN CARD तथा निविदादाता फर्म का GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
3. फर्म को किसी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी कार्यालय/निगम/बोर्ड से काली सूची में नहीं डाला गया हो। इस आशय का रूपये 100/– के स्टाम्प पर नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र बिड के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।
5. संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।
6. निविदादाता फर्म के EPF/ESI में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।

RajKaj Ref
9598664

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

7. Joint Venture स्वीकार नहीं होगा। सफल निविदादाता/संवेदक उक्त कार्य को अन्य फर्म को सबलेट नही कर सकेगा।
8. निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।
9. वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना अनिवार्य होगा।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक निर्धारित मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में अनिर्वाय रूप से अपलोड करने होगें। इनके अभाव में निविदा दाता को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

3. सामान्य शर्ते :–

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय रुम नम्बर 324 में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उतरदायी नहीं है।
4. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। प्रस्तुत दरें सभी करों सहित होगी। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
5. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो, विवरण के सम्बन्ध में जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर कमरा न. 324 में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. निविदा की अवधि दो वर्ष की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से उसी दरों पर कार्य करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता आवश्यकता अनुसार कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियों होने पर नगर निगम किसी भी समय निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही निविदा में शेष बचे समय के लिए संवेदक को कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
9. नगर निगम एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगें। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में सहायक दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्व रुपान्तरण हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में करके अपलोड करने होंगें। निविदादाता को वित्तीय प्रस्ताव INR में ही प्रस्तुत करने होंगे।
10. नियमित कार्यो के समय पावन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोवाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।
11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताऐं 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी :–

(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।
(ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी/[illegible]

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

"Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।

(ग) नगर निगम बैक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गांरटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.पर ब्याज सहित जब्त होगी।

(ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।

12- यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता की दर का आंकलन करते हुऐ (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

13. सफल निविदादाता के द्वारा निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित किया जा सकेगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा।

14. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होगें ।

15. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):–** प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अशंतः समपहरण किया जा सकेगा।

(क) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

16. निम्न स्थिति मे धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी

(क) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।

(ख) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही करता है।

(ग) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(घ) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तो का उल्लंघन करता है।

17. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–

(1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।

(2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।

(3) जानवुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

18. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज /शुद्विपत्र/संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।

19. निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाता अपनी जमा करवाई गई धरोहर राशि बिना ब्याज के रूम नं. 324, नगर निगम जोधपुर ऑफिस से प्राप्त की जा सकती है।

20. कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दुरभाष पर भी आदेश दिये जा सकेंगे जो ठेकेदार को मान्य होंगे। इसकी पुष्टि में बाद में आदेश जारी किये जा सकेंगे।

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

21. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
22. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
23. कय अधिकारी किसी भी निविदा को, चाहे वह न्यूनतम हो, स्वीकृत करने का, किसी भी निविदा को विना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा के समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं, जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक से अधिक को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
24. विशेष परिस्थितियो में न्यूनतम दरदाता की असहमति पर नगर निगम जोधपुर दक्षिण अन्य फर्मो (नोन ए.आर.सी) से भी निविदा में अंकित कार्य करवा सकते है जिसके लिये न्यूनतम दर दाता फर्म की कोई शिकायत/क्लेम मान्य नहीं होगा। उक्त कार्य रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जाएगा जिसके अंतर की वसूली सवेंदक फर्म से की जाएगी।
25. यदि सफल निविदादाता स्टैण्डर्ड/निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो L-1 की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी तथा स्वीकृत दरों पर L-2 को कार्यादेश जारी किया जायेगा।
26. सफल निव्रिदादाता द्वारा निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

4. कार्यविधि, वाहन एवं वाहन चालक से सम्बंधित विवरण :—

1. जोधपुर नगर निगम दक्षिण क्षेत्र में फोगिंग कार्य प्रातः 6 बजे से सांय 8 बजे के कुल समय में 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। सामान्यतया फोगिंग कार्य प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक व सांय 4 बजे से 8 बजे तक किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु टैक्सी मय चालक जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक को उपलब्ध करवाने होंगे। आपातकालीन स्थिति में/आवश्यक होने पर किसी भी समय पर मांग अनुसार संख्या में टैक्सी मय ड्राईवर उपलब्ध करवाने होगें। इस स्थिति में उपयोग में लेने वाले अधिकारी से लोगबुकें मय सील प्रमाणित करवानी होगी।
2. फोगिंग कार्य का निर्धारण नगर निगम जोधपुर दक्षिण के संबंधित जोन के मु.स.नि. करेगें उसी अनुसार कार्य करना होगा।
3. वाहनों के संचालन हेतु दक्ष व प्रशिक्षित वैध लाईसेन्सधारी चालक होना आवश्यक है। चालक मय वाहन का उपयुक्त बीमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगा।
4. संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के लिये निविदादाता की जिम्मेदारी होगी व ऐसी स्थिति में गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त लेबर/चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।
5. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. नगर निगम की ओर से देय नहीं होगा।
6. सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, चालक का लाइसेन्स आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा ।
7. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाइसेन्स व वाहन से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतियां गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
8. वाहनों में होने वाली समस्त टूट फूट या खराबी के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. वाहनों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
10. वाहन पर कार्य के दौरान नगर निगम जोधपुर दक्षिण से अनुबंधित की पट्टी/प्लेट लगानी होगी। प्रतिदिन का कार्य पूर्ण होते ही प्लेट हटानी होगी। प्लेट का दुरूपयोग होने पर 1000/— प्रतिवाहन प्रति घटना शास्ती काटी जायेगी।
11. एक टैक्सी वाहन फर्म के स्वयं के स्वामित्व में होना आवश्यक है अन्य टैक्सीया उपलब्ध करवाने का घोपणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

RajKaj Ref
9598664

Signature valid

Digitally signed by T. Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

12. टैक्सीयों पर GPS Installed होना आवश्यक होगा, रिपोर्ट में 8 घण्टे संबंधित क्षेत्र में Perform किये Km. एवं संचालन क्षेत्र दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
13. फर्म को संबंधित कार्य का गत तीन वर्षो में एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
14. उक्त समस्त वाहन तकनिकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम दक्षिण अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
15. वाहनों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, टायर टयूब, बैटरियॉ, डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं वाहनों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होगे।
16. यातायात के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
17. उपलब्ध करवाये गये वाहन तकनिकी स्तर पर आधारभूत शर्तों से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनिकी रूप से आधारभूत शर्तों अनुसार ही माना जायेगा।
18. संवेदक द्वारा वाहन चालको को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान करना अनिवार्य होगा तथा श्रम संबंधी समस्त विधियों की पालना हेतु संवेदक जिम्मेदार होगा। नगर निगम दक्षिण का उत्तरदायित्व नही होगा।

5. कार्य प्रमाणन एवं भुगतान

1. निविदादाता GPS Report के साथ प्रतिदिन लॉग बुक को भरे जाने एवं सक्षम अधिकारी (मुख्य सफाई निरीक्षक) तथा सफाई निरीक्षक/प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगा। किये गये कार्य के बिल का भुगतान GPS रिपोर्ट व लॉग बुक के मिलान पश्चात् न्यूनतम के आधार पर किया जायेगा। प्रमाणित लॉग बुकें मय GPS reprts बिल गैराज प्रभारी को दो प्रतियो में आगामी 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक माह का बिल अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत नहीं करने पर बिल राशि की 2 प्रतिशत पेनल्टी लगाई जायेगी।
2. कार्य के दौरान वाहन खराब होने पर पूरे समय का भुगतान देय नहीं होगा बल्कि वाहन के द्वारा वास्तविक कार्य किये गये घण्टों का दिन के किराये के हिसाब से आनुपातिक भुगतान देय होगा।
3. बिल के साथ गत माह के EPF/ESI अंशदान जमा संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में भुगतान नही किया जाएगा।

6. दुर्घटना

1. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, वाहन दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
3. दुघर्टना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट फूट होने पर संवेदक दूसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।

7. निगम शक्तियॉ एवं शास्तियां :-

1. आदेशित से कम संख्या में वाहन उपलब्ध करवाने पर प्रतिदिन प्रतिवाहन किराये की राशि की 50 प्रतिशत राशि शास्ती के रूप में काटी जायेगी तथा संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। जिसके लिए संवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी क्लेम के लिए नगर निगम दक्षिण उतरदायी नही होगा।
2. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किसी भी समय वाहनों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होगें।
3. उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा निर्देशित समय पर वाहनों के नहीं पहुॅचने अथवा समय पूर्व वाहनों के चले जाने पर रूपये 100/- प्रतिघण्टे प्रतिवाहन की पेनल्टी लगाई जायेगी। साथ ही यह घटना

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

एक वाहन पर एक बार से अधिक बार होने पर 500/– रूपये पेनल्टी लगाई जायेगी तथा इस वाहन को हटाते हुए संवेदक दूसरा वाहन उपलब्ध करवायेगा।

4. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करने हेतु नगर निगम स्वतंत्र है।
5. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।
6. आवश्यकता होने पर (अधोहस्ताक्षरकर्ता के लिखित आदेश से) वाहनों की संख्या बढाई/घटाई जा सकेगी।
7. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।
8. किसी भी विवाद में प्रशासक/आयुक्त/महापौर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. <u>निविदा प्रपत्र में संशोधन :–</u>

1 नगर निगम दक्षिण निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा ।

2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

RajKaj Ref
9598664

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट – 'अ'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

वितीय प्रस्ताव

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर दक्षिण में फोगिंग कार्य हेतु मांग अनुसार संख्या में 3–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा।

क.स.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में) सभी करों सहित
1	फोगिंग कार्य हेतु 3–व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवाने का कार्य।	राशि ....प्रतिदिन 8 घण्टे

दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम मय मोहर

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट – 'ब'

–:: अण्डर–टेकिंग ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोशणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम द्वारा निविदा में अंकित कार्य हेतु मांग अनुसार संख्या में 3– व्हीलर सवारी टैक्सी उपलब्ध करवा देंगें।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, भार्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाम व
हस्ताक्षर मय सील

RajKaj Ref
9598664

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation Jodhpur South for procurement of ———————————————————————————————— in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: Signature of Bidder

Place: Name:

Designation:

Address:

RajKaj Ref
9598664

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.08.07 18:34:00 IST
Reason: Approved